रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252361
CG-DL-E-24022024-252361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945**
No. 120]	**NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 131(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी), पद भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	16* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400–112400/- रू.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता, पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी**	**परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि,**
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शासकीय सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण:** आयु-सीमा	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यायल से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर्स डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यायल से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा

अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विहित की गयी है ।	हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर्स डिग्री और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर्स डिग्री और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर्स डिग्री और हिंदी एवं अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर पर हो; और हिन्दी से अंग्रेजी में और विपरीतत: अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिनमे भारत सरकार के उपक्रम भी समिलित है, में दो वर्ष का हिंदी से अंग्रेजी में और विपरीतत:, अनुवाद कार्य में अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।		यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छूटी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखते हो ।	लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण – अध्यक्ष 2. कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण – सदस्य; और 3. कार्यालय का प्रधान भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 01/13/2021-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2024

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Botanical Survey of India (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, namely: -

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Junior Translation Officer), Post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.–**The number of post, its classification and level in the pay matrix shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Junior Translation Officer.	16* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400/-).	Not applicable.

Age limit for Direct recruits	**Educational and other qualification required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note.–**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for	Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or	Not applicable.	Two years. There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory of elective subject at degree level; and recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or the State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1.–**Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.–**The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of, Staff Selection Commission / competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved from them.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. **Note.–**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member	

[F. No. 01/13/2021-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA